राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 5(14)बजट/सा.न्या.अ.वि./14-15/2015-16/17370-402 जयपुर, दिनांक : 15/02/16

समस्त उप निदेशक, सहायक निदेशक,
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अधीक्षक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषयः- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

संदर्भः- विशिष्ट शासन सचिव का पत्र क्रमांकः प.9(1)वित्त-1(1) आ.व्य./ 2014 दिनांक 19.02.15 एवं 03.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.02.15 के बिन्दु 2 ''समानुपातिक व्यय''के द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में बजट प्रावधानो के एक तिहाई (33प्रतिशत) से अधिक का व्यय नहीं करने तथा मार्च माह में बजट प्रावधानों के 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक व्यय नहीं किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजकीय व्यय में मितव्ययता हेतु जारी वित्त विभाग के दिशा-निर्देश आयोजना भिन्न व्ययों पर ही लागू होंगें। विभागों द्वारा किये जाने वाले आयोजना व्यय पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ 3(2)(5) बजट/सा.न्या.अ.वि./10-11/17403-08
दिनांक : जयपुर, 15/02/16

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. प्रधान महालेखाकार (सिविल) लेखापरीक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. समस्त शाखा प्रभारी।
5. ए.सी.पी. शाखा को पत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

लेखाधिकारी